Seventeenth Series, Vol. XV No. 17

Tuesday, December 21, 2021
Agrahayana 30, 1943 (Saka)

# LOK SABHA DEBATES

**(Original Version)**

**Seventh Session**
**(Seventeenth Lok Sabha)**

सत्यमेव जयते

*(Vol. XV contains Nos.11 to 18 )*

**LOK SABHA SECRETARIAT**
**NEW DELHI**

***EDITORIAL BOARD***

Utpal Kumar Singh
**Secretary-General**
**Lok Sabha**

Suman Arora
**Joint Secretary**

Mahavir Singh
**Director**

Narad Prasad Kimothi
Sunita Arora
**Joint Director**

Kamala Subramanian
**Editor**

**© 2021 Lok Sabha Secretariat**

None of the material may be copied, reproduced, distributed, republished, downloaded, displayed, posted or transmitted in any form or by any means, including but not limited to, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of Lok Sabha Secretariat. However, the material can be displayed, copied, distributed and downloaded for personal, non-commercial use only, provided the material is not modified and all copyright and other proprietary notices contained in the material are retained.

# CONTENTS

**Seventeenth Series, Vol. XV, Seventh Session, 2021/1943 (Saka)**
**No. 17, Tuesday, December 21, 2021 / Agrahayana 30, 1943 (Saka)**


| SUBJECT | PAGES |
|---|---|
| **ORAL ANSWERS TO QUESTIONS** | |
| *Starred Question Nos. 321 to 326, 334 and 338 | 7-28 |
| **WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS** | |
| Starred Question Nos. 327 to 333, 335 to 337, 339 and 340 | 29-97 |
| Unstarred Question Nos. 3681 to 3910 | 98-710 |


* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

**ANNOUNCEMENT BY THE SPEAKER**
Development of a mobile app for Members to access Parliamentary information 711

**PAPERS LAID ON THE TABLE** 717-739

**MESSAGES FROM RAJYA SABHA** 740-741

**COMMITTEE ON ESTIMATES**
12th Report 742

**COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE**
6th Report 743

**STANDING COMMITTEE ON AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY AND FOOD PROCESSING**
36th Report 743

**ELECTION TO COMMITTEE**
Council of the National Institutes of Food Technology, Entrepreneurship and Management (NIFTEM) 744

**PROHIBITION OF CHILD MARRIAGE (AMENDMENT) BILL, 2021** 745-753

**CHARTERED ACCOUNTANTS, THE COST AND WORKS ACCOUNTANTS AND THE COMPANY SECRETARIES (AMENDMENT) BILL, 2021** 754-755

*ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions 738

Member-wise Index to Unstarred Questions 739-745

**ANNEXURE – II**

Ministry-wise Index to Starred Questions 746

Ministry-wise Index to Unstarred Questions 747

* Available in Master copy of Debate, placed in Library.

## OFFICERS OF LOK SABHA

### THE SPEAKER

Shri Om Birla

### PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

### SECRETARY GENERAL

Shri Utpal Kumar Singh

**LOK SABHA DEBATES**

---

---

LOK SABHA

---

Tuesday, December 21, 2021/Agrahayana 30, 1943 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

… (*Interruptions*)

**SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM):** Mr. Speaker, Sir, I have given a notice for Adjournment Motion. In my constituency at Kollam, the residential houses of the poor people are being broken open and they are being taken possession in the name of the Kerala Silver Line Project. This is being done even without giving any prior notice. Without giving statutory notice, the houses are being taken into possession. It is totally illegal. So, I urge upon the Government to stop all the survey proceedings of this project. … (*Interruptions*)

**SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR):** Mr. Speaker, Sir, …* has not sent the Bill regarding stopping of NEET examination to the President of India. This Bill has been passed by the Tamil Nadu Assembly unanimously on 13.9.2021.

… (*Interruptions*)

**HON. SPEAKER:** No, you cannot speak about Governor.

**SHRI T. R. BAALU:** Sir, …* is still sitting over the Bill. … * has not yet sent it to the President. … (*Interruptions*) As per Article 200 of the Constitution of India, …* has to send it to the President. … (*Interruptions*)

**11.02 hrs**

*At this stage, Shrimati Mahua Moitra, Shri Kodikunnil Suresh, Shri Dhanush M. Kumar and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.*

… (*Interruptions*)

* Not recorded

**11.02 ½ hrs**

**ORAL ANSWERS TO QUESTIONS**

**HON. SPEAKER:** Question No. 321 - Shri Anubhav Mohanty

… (*Interruptions*)

**(Q. 321)**

**SHRI ANUBHAV MOHANTY :** Sir, I am extremely happy that the Government is extending the subsidy being provided to the farmers for cultivation of ginger and turmeric. But it should be provided on time. … (*Interruptions*) They provide it every year after the financial year is over. But if it is given a little earlier, it will benefit the farmers for cultivation. … (*Interruptions*)

**माननीय अध्यक्ष** : आज मैं सभी माननीय सदस्यों को बोलने का मौका दूँगा। मैं हर माननीय सदस्य को बोलने का मौका दूँगा। देर रात्रि को 12 बजे तक सदन चलाऊँगा। आप अपनी-अपनी सीट पर जाकर विराजें। मैं सभी माननीय सदस्यों को आसन से व्यवस्था दे रहा हूँ।

… (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** आज मैं सभी माननीय सदस्यों को पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दूँगा। आप सब अपनी-अपनी सीट्स पर जाकर बैठें। आप यहाँ चर्चा नहीं करना चाहते, संवाद नहीं करना चाहते हैं, मुद्दा नहीं उठाना चाहते हैं। आप नियोजित तरीके से सदन में व्यवधान करना चाहते हैं, यह उचित तरीका नहीं है। हमारी संसदीय परम्पराओं के अंदर नियोजित तरीके से सदन को स्थगित कराने का प्रयास करना, नारेबाजी करना, तख्तियाँ लेकर आना ठीक नहीं है।

… (व्यवधान)

**SHRI ANUBHAV MOHANTY :** Sir, will the Minister give an assurance that the Government will enhance the subsidy by four folds to help the farmers in the

real sense which will act as a massive booster and also consider diversification of the cultivation of such crops for enhanced production for the benefit of the public as well as the farmers? … (*Interruptions*) अगर सरकार किसानों की आमदनी को दोगुना करना चाहती है, अगर इस सपने को पूरा करना है, अगर इसे अचीव करना है तो स्पाइसेज के जो किसान हैं, उनको मोटिवेट करना, उनको इनकरेज करना बहुत ही जरूरी है।… (व्यवधान) अगर उनकी आमदनी नहीं बढ़ती है तो किसानों की आमदनी को दोगुना करना बहुत ही मुश्किल है।… (व्यवधान) यह नामुमकिन है।… (व्यवधान) मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ कि कब तक इस कार्य को पूरा करेंगे।… (व्यवधान) मंत्री जी, इसके लिए कोई डेडलाइन बताएं।… (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** मैं सभी माननीय सदस्यों से कह रहा हूँ कि आप सब अपनी सीट्स पर जाएं। आज आपको हर मुद्दे पर मैं पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दूँगा। सभी माननीय सदस्यों को अवसर दूँगा। आप सभी अपनी-अपनी सीट्स पर जाकर बैठें। अपनी-अपनी सीट्स पर जाइए। अगर मैं हर मुद्दे पर आपको बोलने का मौका नहीं दूँ तो फिर आप वेल में आना। आप मुद्दे पर बोलना नहीं चाहते, चर्चा नहीं करना चाहते हैं।

माननीय मंत्री जी।

… (व्यवधान)

**श्री कैलाश चौधरी :** महोदय, माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न में स्पाइसेज को बढ़ावा देने की बात कही है।… (व्यवधान) भारत सरकार के द्वारा लगातार इस विषय पर काम किया जा रहा है और विशेषकर हॉर्टिकल्चर मोड के द्वारा और हॉर्टिकल्चर मिशन कार्यक्रम के अंदर भारत सरकार की ओर से कई सुविधाएं दी जा रही हैं, जिसमें उनको सहायता प्रदान की जाती है।… (व्यवधान) इसमें सब्सिडी का भी प्रावधान किया गया है।… (व्यवधान) इसी के अंदर इसमें, जैसा कि हमारी ऐसी क्रॉप है, जो एक साल में तैयार हो जाती है, उसके लिए हम एकमुश्त, एकसाथ पूरा पैसा उनको देते हैं।… (व्यवधान) वहीं कुछ क्रॉप ऐसी होती हैं, जैसे सेब हो गया, अनार हो गया, जो फसल तीन-

चार साल में तैयार होती है, उनके लिए हम तीन फेज के अंदर किसान को पैसा देते हैं।... (व्यवधान)

उसके अंदर फर्स्ट किश्त में ही उनको 60 प्रतिशत पैसा मिल जाता है, 20 प्रतिशत पैसा दूसरे साल में और बाकी 20 प्रतिशत तीसरे साल में मिलता है। यदि किसानों को एक साल या दो साल बाद बीज या फर्टिलाइजर्स की आवश्यकता होती है तो उनके लिए इस व्यवस्था के नाते यह व्यवस्था की गई है।... (व्यवधान) निश्चित रूप से राज्य से जो भी प्रोजेक्ट आता है, उसके ऊपर भारत सरकार तुरंत कार्रवाई करती है। किसानों को सुविधा देने के लिए और मसालों की खेती को बढ़ावा देने के लिए माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने वर्ष 2014-15 के बाद इस काम को और गति के साथ बढ़ाया है और नई योजना भी प्रारंभ की है।... (व्यवधान)

**श्री अनुभव मोहंती** : सर, माननीय मंत्री जी खुद एक किसान हैं, इसलिए वह किसानों के दर्द को ज्यादा समझते हैं।... (व्यवधान) मैं यह महसूस करता हूं, लेकिन इसके साथ ही मैं उनको यह भी बताना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी का जो जवाब था, वह मेरे सवाल का जवाब नहीं था।... (व्यवधान) मैंने एक डेडलाइन मांगी थी कि वह कब तक किसानों की आमदनी को दोगुनी करने की सोच रहे हैं? वह हमें एक डेडलाइन, एक एश्योरेंस दें।... (व्यवधान)

**श्री कैलाश चौधरी :** माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के द्वारा घोषणा भी की गई है कि वर्ष 2022 तक किसानों की इनकम को डबल करना हमारा लक्ष्य है और उस दिशा में भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है।... (व्यवधान) हमने डबल इनकम करने के लिए बाकायदा एक कमेटी बनाई है। उसकी लागत को कैसे कम किया जाए, उसके उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए और वैल्यू एडिशन के आधार पर जो-जो योजनाएँ बननी चाहिए, उसके तहत उनको सहायता प्रदान करना।... (व्यवधान) चाहे एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से उनको सपोर्ट करना हो, किसान सम्मान निधि के तौर पर किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट देना हो और किसानों को केसीसी से अधिक से अधिक ऋण मिले, इन सभी दृष्टियों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है।... (व्यवधान) हमारा जो लक्ष्य है, जैसे मैंने बताया कि वर्ष 2022 तक निश्चित

रूप से दोगुनी ही नहीं, उससे भी आगे जाकर किसानों की इनकम बढ़ाने का भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है और हम सफल होंगे।... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** क्वेश्चन नंबर 322 – श्री विवेक नारायण शेजवलकर।

**(Q. 322)**

**श्री विवेक नारायण शेजवलकर :** माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने पूरा विस्तृत विवरण दिया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जीरो बजट कृषि को अपनाने के लिए सरकार लगातार किसानों को आग्रह कर रही है।... (व्यवधान) किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त सहायता व सुविधा उपलब्ध कराने की सरकार की क्या योजना है? ... (व्यवधान) इस पद्धति से की जाने वाली खेती से प्राप्त होने वाली फसल व रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कर उगाई गई फसलों की न्यूट्रिएंट वैल्यू, लागत, यील्ड और भूमि की उर्वरता पर प्रभाव आदि का तुलनात्मक विश्लेषण क्या है? ऑर्गेनिक फार्मिंग और जीरो बजट कृषि में क्या अंतर है?... (व्यवधान)

**श्री कैलाश चौधरी** : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। हमारे प्रधान मंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी ने भी अभी पूरे देश को सम्बोधित करते हुए जीरो बजट या प्राकृतिक खेती के बारे में जिक्र किया है।... (व्यवधान) मैं आपको बताना चाहूंगा कि जीरो बजट या प्राकृतिक खेती के लिए जो परंपरागत कृषि विकास योजना है, उस योजना के तहत हमने वर्ष 2019-20 में भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के कम्पोनेंट के अंदर आठ राज्यों को इसमें शामिल किया है और 4 लाख हेक्टेयर भूमि एरिया को हमने कवर करने का प्लान किया है। साथ ही 29 करोड़ रुपये का इसके लिए अलग से प्रावधान किया गया है।... (व्यवधान) इससे यह साफ जाहिर होता है कि भारत सरकार का यह विचार है कि आने वाले समय में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिले। इसके लिए मुझे बताते हुए यह प्रसन्नता है कि नमामि गंगे के अंदर भी 1 लाख 23 हजार हेक्टेयर एरिया कवर किया जा रहा है।... (व्यवधान) प्राकृतिक खेती के अंदर 4 लाख हेक्टेयर एरिया का मैंने जिक्र किया ही है। कुल मिलाकर यह है कि प्राकृतिक खेती के अंदर वह चीज आती है, जिसमें खेत के अंदर किसान की जो फसल है, उसके अंदर चाहे खाद हो, गाय का गोमूत्र हो, गोबर हो या खेत के अंदर जो रिसोर्स हो, उसी रिसोर्स से जो उत्पादन होता है और

उसका उपयोग करके किसान जो फसल बोता है, उसको प्राकृतिक खेती कहते हैं। हमारी जो परंपरागत खेती है, उसको हम प्राकृतिक खेती मानते हैं, जिसमें लागत की बहुत कम मात्रा आती है। दूसरा, जो ऑर्गेनिक खेती है, ऑर्गेनिक खेती के अंदर बायोफोर्टिफाइड फर्टिलाइजर और बायोस्टिम्युलेंट फर्टिलाइजर का उपयोग होता है। ... (व्यवधान) मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज देश के अंदर लगातार इस दिशा में काम किया जा रहा है। ... (व्यवधान) ऑर्गेनिक और प्राकृतिक खेती का क्षेत्रफल भी, जब से यह योजना प्रारंभ हुई है, वह लगातार बढ़ता जा रहा है। ... (व्यवधान) आज पूरे देश का क्षेत्रफल 6.19 हेक्टेयर हो चुका है और हमारा लक्ष्य है कि हम आगे भी इसको बढाएंगे। ... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय मंत्री जी, आप शॉर्ट में जवाब दीजिए।

माननीय सदस्य।

... (व्यवधान)

**श्री विवेक नारायण शेजवलकर :** माननीय अध्यक्ष महोदय, आवारा पशुओं द्वारा फसल को क्षति पहुंचाने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ... (व्यवधान) इससे किसानों को भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। ... (व्यवधान) इस समस्या के समाधान के लिए क्या सरकार कोई ठोस कार्यवाही करेगी? ... (व्यवधान)

**श्री कैलाश चौधरी :** माननीय अध्यक्ष महोदय, आवारा पशुओं की समस्या के बारे में माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है। ... (व्यवधान) निश्चित रूप से सरकार के द्वारा ये प्रयास लगातार हो रहे हैं। ... (व्यवधान) राज्य के द्वारा भी ये प्रयास होते हैं। ... (व्यवधान) मुझे जहां तक लगता है कि जो हमारी आरडी की स्कीमें हैं, मनरेगा के माध्यम से भी कुछ राज्यों ने इसमें पहल की है और कुछ ने अपनी-अपनी योजना बना कर बाउंड्री इत्यादि बना कर भी इसमें काम किया है। ... (व्यवधान) भारत सरकार के द्वारा भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी तरह से इस समस्या का समाधान हो। ... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय मंत्री महोदय, मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि आप अपने जवाब को शॉर्ट करें। मंत्री जी, क्या आप मेरी बात को सुन रहे हैं?

… (व्यवधान)

**श्री कैलाश चौधरी :** जी, मैं सुन रहा हूँ। … (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** नहीं तो मुझे आपको टोकना पड़ेगा।

श्री उदय प्रताप सिंह जी।

**श्री उदय प्रताप सिंह:** अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सबसे पहले कृषि मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने किसानों के उत्थान के लिए अनेक प्रयास किए हैं। … (व्यवधान) भारत सरकार ने 24 अप्रैल, 2017 में हमारे किसानों के लिए कृषि उत्पाद, पशुधन विपणन अधिनियम परिचालित किया था। … (व्यवधान) बाद में हमारा नया कृषि कानून आया, जो किसानों को सशक्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण कानून था। … (व्यवधान) अपरिहार्य परिस्थितियों में वह कानून वापस लिया गया है। … (व्यवधान) मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि बिचौलियों से शोषण और अन्य तरह से किसानों की रक्षा के लिए, चूंकि पुराने कानून उतने सक्षम नहीं थे, नया सशक्त कानून वापस हो गया है तो आगामी समय में कृषि मंत्रालय किस तरह से आगे आ कर किसानों की रक्षा कर पाएगा? … (व्यवधान) यह मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ। … (व्यवधान)

**श्री कैलाश चौधरी :** माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। … (व्यवधान) बिचौलियों से बचाव के लिए कृषि के जो कानून बने थे, उनको जिस कारण से रद्द किया गया है, वह पूरा देश जानता है। … (व्यवधान) मुझे लगता है कि भारत सरकार की आगे के लिए जो योजनाएं हैं, उसके अंदर हमारी सरकार का मुख्य रूप से मकसद एक ही है कि बिचौलियों से किसानों को मुक्ति मिले और इसके लिए हमारी सरकार कटिबद्ध थी, कटिबद्ध है और आगे भी कटिबद्ध रहेगी। … (व्यवधान) ई-नाम मंडी के माध्यम से किसान को डायरेक्ट फसल बेचने पर मूल्य मिले, उस पर हमने काम किया है। … (व्यवधान) इसी तरह से एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड

के अंदर भी किसानों को डायरेक्ट पैसे देने का प्रावधान किया है। … (व्यवधान) विशेष कर हमारी पीएम किसान सम्मान निधि योजना में भी किसान को डायरेक्ट पैसा डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। … (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** श्री निहाल चन्द जी।

… (व्यवधान)

**श्री कैलाश चौधरी :** इसी तरह से पीएम किसान मानधन योजना और फसल बीमा योजना आदि जितनी भी योजनाए हैं, उनमें हम किसानों को डायरेक्ट लाभ देते हैं, जिससे बिचौलियों से … (व्यवधान)

**श्री निहाल चन्द चौहान:** अध्यक्ष महोदय, मैं देश के प्रधान मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने किसान की आय दोगुनी करने के लिए प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, … (व्यवधान) किसानों की इनकम दोगुनी हो … (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, आप योजना मत बताओ। आपका प्रश्न क्या है, वह पूछिए।

… (व्यवधान)

**श्री निहाल चन्द चौहान :** देश के प्रधान मंत्री जी ने किसानों के लिए काम किया है। … (व्यवधान) मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वर्ष 2019 के अंतर्गत राजस्थान में मेरे संसदीय क्षेत्र और पूरे राजस्थान में बैंकों द्वारा फसल बीमा पोर्टल पर किसानों की गलत सूचना अपलोड करने के कारण करीब पांच हज़ार किसान फसल बीमा क्लेम से वंचित रह गए हैं। … (व्यवधान) इसमें बैंकों और एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी, दोनों की सारी भूमिका रहती है। … (व्यवधान) मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से प्रश्न है कि क्या बैंकों व एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है? … (व्यवधान) किसान की फसल के पोर्टल को सही करने के लिए केंद्र सरकार क्या काम कर रही है? … (व्यवधान)

**श्री कैलाश चौधरी :** माननीय अध्यक्ष महोदय, फसल को इंश्योरेंस से कवर करने के लिए हमारी जो योजना है, निश्चित रूप से बैंक को इसके अंदर बाध्य किया गया है कि वह जो प्रीमियम लेती है,

उसको समय पर आगे दे और जिसका प्रीमियम है, उसको इंश्योरेंस मिले। अगर उसमें किसी बैंक ने गलती की है तो उस बैंक को उसके ऊपर 12 प्रतिशत की पेनाल्टी सहित किसानों को उसका क्लेम देना होता है, यह प्रावधान है।... (व्यवधान) मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसा माननीय सदस्य ने कहा है, अगर इनका इस बारे में कोई स्पेसिफिक लेटर है और अगर वे लिखित में देंगे तो निश्चित रूप से मैं इसकी जाँच कराकर किसानों को उचित मुआवजा दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा।... (व्यवधान)

**(Q. 323)**

**श्री दुष्यंत सिंह :** माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने हमारे किसानों के लिए 'पी.एम. किसान' योजना, एम.एस.पी. और क्रेडिट सपोर्ट दिया है, पर मंत्री जी का जो उत्तर मिला है, मुझे पता चला है कि जो 'पी.एम. किसान' योजना है, उसमें लगभग 55 प्रतिशत जो कृषक श्रमिक हैं, उन्हें इसका लाभ नहीं मिलता है।... (व्यवधान) वर्ष 2015 की आर.बी.आई. की रिपोर्ट के द्वारा यह पाया गया है कि जो ऋण है, वह वर्तमान में जो लैंडहोल्डर्स हैं, उनको ही मिलता है और जो भूमिहीन किसान हैं, उन्हें यह नहीं मिलता है।... (व्यवधान) लगभग 14 करोड़ भूमिहीन किसानों को इसका लाभ अब तक नहीं मिला है।... (व्यवधान) आप एक किसान नेता हैं तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? ... (व्यवधान)

**श्री कैलाश चौधरी :** माननीय अध्यक्ष महोदय, जी, जैसा कि फिगर्स बताए गए हैं, उसमें सम्मान निधि का जो पैसा है, उसमें जिसकी लैंडहोल्डिंग है, जो किसान खेत का मालिक है, उसे ही इसके लिए माना गया है।... (व्यवधान) इसके अतिरिक्त मुझे यह कहना है कि देश के कुल किसानों में केवल 17.3 प्रतिशत किसान ही बँटाईदार हैं।... (व्यवधान) उन किसानों के लिए भी प्रधान मंत्री जी ने विशेष योजना बनाई है।... (व्यवधान) मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि किसानों को सपोर्ट मिलता है।... (व्यवधान) एक तो वह जब फसल बोए, उस समय उन्हें सपोर्ट मिले।... (व्यवधान) अगर राज्य सरकार उसके नॉर्म्स के अनुसार सब जोड़कर भारत सरकार को भेजती है तो किसानों के जो के.सी.सी. हैं, उसके अन्दर उसे कवर किया गया है।... (व्यवधान) किसानों की फसलों का जो नुकसान होता है, इसके लिए उसे रिस्क मिले, इस दृष्टि से उसको भी इसके अन्दर जोड़ सकते हैं।... (व्यवधान) साथ ही, जो फर्टिलाइजर्स हैं, उसकी सब्सिडी का लाभ बँटाईदार किसान भी ले रहे हैं।... (व्यवधान) इसके साथ-साथ हम जो मिनी किट और नई वेराएटी के बीज देते हैं तो उन किसानों को इसका लाभ भी मिल रहा है।... (व्यवधान) मुझे लगता है कि भारत सरकार ने

बँटाईदार किसानों को हर समय सपोर्ट करने के लिए योजनाएँ बनाई हैं और उसका लाभ किसान ले रहे हैं।... (व्यवधान)

**श्री दुष्यंत सिंह :** मंत्री जी का जो उत्तर मिला है और यहां बड़े मंत्री जी भी बैठे हुए हैं तो मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि जो डेटा प्रोटेक्शन बिल, 2019 है, जो अभी जे.पी.सी. में है और जिसकी रिपोर्ट अभी लम्बित है तो क्या किसानों की डेटा प्रोफाइलिंग कॉरपोरेट जगत को दी जाएगी?... (व्यवधान) जैसे मध्य प्रदेश में मंत्री जी के क्षेत्र में पायलट बेसिस पर हो रहा है, माननीय स्पीकर साहब के क्षेत्र में यह पायलट बेसिस पर हो रहा है, हम गरीब क्षेत्र से आते हैं, झालावाड़ में, बारां में हमारे क्षेत्र में इसे पायलट बेसिस पर करके इसका लाभ क्यों नहीं दिया गया है?... (व्यवधान) डेटा प्रोटेक्शन से बड़े उद्योगपतियों को इसका लाभ मिलेगा।... (व्यवधान) हमारे किसानों का डेटा पूरे विश्व में फैलेगा।... (व्यवधान) हमारे किसानों को इसका लाभ कब मिलेगा और हमारे जो भूमिहीन किसान हैं, वे इसका लाभ कब ले पाएंगे?... (व्यवधान)

**कृषि और किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर):** माननीय सदस्य का सवाल कुल मिलाकर प्रश्न के अन्तर्गत तो है, लेकिन वे सिर्फ अपने क्षेत्र की चिंता कर रहे हैं।... (व्यवधान)

महोदय, मैं आपके माध्यम से उन्हें बताना चाहता हूं कि भारत सरकार ने डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन प्रारम्भ किया है।... (व्यवधान) इस मिशन के अन्तर्गत ऐसे किसान, जिनके पास जोत है, उनके खाते को डिजिटाइज्ड किया जा रहा है।... (व्यवधान)

अभी तक पाँच करोड़ किसानों का खाता डिजिटलाइज़ किया गया है। हमारी कोशिश है कि दिसंबर खत्म होते-होते आठ करोड़ किसान उसमें आ जाएं।... (व्यवधान)

जहाँ तक पायलट स्कीम का सवाल है तो निश्चित रूप से कोई भी योजना होती है, उसको पायलट पर ही करना पड़ता है। वह चार-पाँच जिलों में हुई है।... (व्यवधान) इसके बाद पूरे देश भर में होने वाली है। जहाँ तक डाटा का सवाल है, मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि किसानों का डाटा कहीं भी जाने वाला नहीं है। उस स्कीम को पूरी सुरक्षा के साथ लागू किया जा रहा है।... (व्यवधान)

**श्रीमती जसकौर मीना :** अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है कि राज्य सरकारें किसानों को भारत सरकार की लाभकारी योजनाओं का पूरा लाभ नहीं दे रही हैं। क्या राज्यों को पाबंद करने का कोई मॉनिटरिंग सिस्टम या कोई ऐसा तंत्र विकसित किया गया है, जिससे भारत सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ हमारे किसानों को मिले? ... (व्यवधान)

**श्री कैलाश चौधरी:** अध्यक्ष महोदय, कृषि राज्य का विषय है। उसमें भारत सरकार राज्यों को सपोर्ट करती है। इसी के तहत जितनी भी योजनाएं बनी हैं, उनमें भारत सरकार लगातार सपोर्ट करती आई है।... (व्यवधान)

जहाँ तक माननीय सदस्य ने किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए बात की है। मैं बताना चाहूँगा कि डायरेक्ट सपोर्ट के तौर पर 'किसान सम्मान निधि' का पैसा डायरेक्ट दिया जा रहा है। हमारी और कई स्कीम्स हैं, जैसे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, उसमें भी डायरेक्ट पैसा दिया जाता है।... (व्यवधान) हमारे जो 10 हजार एफ.पी.ओ. बनाए जा रहे हैं, वे एफ.पी.ओ. किसानों का समूह बनाएंगे। वे किसानों को डायरेक्ट मार्केट से भी जोड़ने का काम करेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत करेंगे।... (व्यवधान) मुझे लगता है कि इस दिशा में भी भारत सरकार निश्चित रूप से काम कर रही है। मैं कह सकता हूँ कि राज्य भी अपने विवेक से प्रोजेक्ट तैयार करते हैं और भारत सरकार में भी प्रोजेक्ट्स होते हैं। उनके माध्यम से भी किसानों के लिए काम किया जा रहा है।... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** श्री बी. मणिक्कम टैगोर।

... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** श्री सुनील कुमार सिंह।

... (व्यवधान)

(**Q. 324**)

**श्री सुनील कुमार सिंह :** माननीय अध्यक्ष जी, मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे पूरक प्रश्न पूछने का समय दिया है।... (व्यवधान) भारत सरकार और गृह मंत्रालय ने लगातार ह्यूमन डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र से एन.आई.ए. सहित सभी संस्थानों को मजबूत बनाने का काम किया है।... (व्यवधान)

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि एन.आई.ए. की कार्रवाइयों से हिंटरलैंड आतंकवाद जैसी घटनाएं मुम्बई, अक्षरधाम सहित देश के अन्य भागों में होती थीं।... (व्यवधान) हिंटरलैंड आतंकवाद तथा वामपंथी गतिविधियों में कितनी कमी आई है, इसके संबंध में मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि वे इस संबंध में जानकारी देने की कृपा करें।... (व्यवधान)

**श्री नित्यानन्द राय:** अध्यक्ष महोदय, हिंटरलैंड आतंकवाद जैसी घटनाओं के कारण देश में निर्दोष लोगों की हत्या हो जाती थी, काफी लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते थे और जानमाल का भी नुकसान होता था।... (व्यवधान) मोदी सरकार के ठोस एवं सकारात्मक कदमों के कारण हिंटरलैंड आतंकवाद में काफी कमी ही नहीं आई है, बल्कि आज की डेट में यह शून्य है। अगर वर्ष 2013 के आँकड़ों को देखा जाए तो हिंटरलैंड आतंकवाद संबंधी चार घटनाएं हुई थीं, बड़ी-बड़ी घटनाएं हुई थीं। उनमें 23 लोगों की मृत्यु हुई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। आज वर्ष 2020 में इनकी संख्या घटकर शून्य हो गई है।... (व्यवधान) इस प्रकार से हिंटरलैंड आतंकवादी गतिविधियों में कमी ही नहीं आई है, बल्कि उनकी रोकथाम भी हुई है। वर्ष 2020 के आँकड़ों के हिसाब से अभी तक कोई घटना नहीं घटी है।... (व्यवधान)

महोदय, माननीय सदस्य ने वामपंथी उग्रवाद के बारे में जानने का प्रयास किया है। वामपंथी उग्रवाद हिंसा के मामलों में वर्ष 2019 के मुकाबले वर्ष 2020 में 70 प्रतिशत की कमी आई है।... (व्यवधान) वहीं नागरिकों की सुरक्षा बलों पर हमले के दौरान होने वाली मृत्यु में 80 प्रतिशत की

कमी आई है। वामपंथी उग्रवाद हिंसा का भौगोलिक फैलाव वर्ष 2010 में 95 जिलों तक था, जो कि वर्ष 2020 में घटकर 23 जिलों तक सीमित हो गया है।... (व्यवधान)

जहां तक वर्ष 2021 की जानकारी प्राप्त हो रही है, उसके हिसाब से वर्ष 2020 के 53 जिलों में 25 प्रतिशत की कमी रही है। वामपंथी उग्रवाद की समस्याओं से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने वामपंथी प्रकोष्ठ की स्थापना की है। इस प्रकार से मोदी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों और ठोस प्रयासों के कारण हिंटरलैंड आतंकवाद और वामपंथी गतिविधियों में कमी आई है।... (व्यवधान)

**श्री रामशिरोमणि वर्मा :** माननीय अध्यक्ष जी, क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि डिजिटाइजेशन से दिन प्रति दिन भारत में साइबर अपराधों में हो रही बढ़ोतरी, फर्जी बैंक कॉल्स, ई-मेल लिंक्स, एसएमएस, फोन कॉल्स के जरिए व इंटरनेट साइबर ठगी के शिकार लोगों को राहत देने, रोकथाम करने, ऐसे अपराधियों को शीघ्र दंडित करने और साइबर सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु सरकार ने क्या कोई कार्य किया है या इस पर विचार कर रही है? ... (व्यवधान)

**श्री नित्यानन्द राय:** माननीय अध्यक्ष जी, साइबर अपराध आजकल आतंकवादी गतिविधियों से लेकर विभिन्न प्रकार के अपराधों में प्रयोग करने का एक प्रयास है। इसीलिए वर्ष 2008 में एनआईए एक्ट में संशोधन किया गया और साइबर क्राइम की गतिविधियों को एनआईए के दायरे में लाया गया। निश्चित रूप से साइबर आतंकवाद की गतिविधियों के बारे में, जैसा माननीय सदस्य ने डिजिटल के संबंध में कहा है कि हैकिंग, पहचान की चोरी, धोखाधड़ी, क्रेडिट कार्ड या कुछ अश्लील सामग्रियों के माध्यम से घटनाओं का प्रचार-प्रसार करने का प्रयास किया जाता है, सरकार इस बारे में हर प्रकार का प्रयास कर रही है और साइबर क्राइम को बड़ी संवेदनशीलता से देख रही है। इसके लिए कई कदम भी उठाए गए हैं ताकि साइबर क्राइम अपराधों में कमी लाई जा सके। सरकार अधिनियम संशोधन एनआईए के साथ आंतरिक साइबर फोरेंसिक परीक्षक तथा तकनीकी फोरेंसिक का सहारा भी ले रही है। इसके साथ-साथ आईटी कैडर के पदों का सृजन हुआ है, इसमें भी फोरेंसिक परीक्षकों और तकनीकी फोरेंसिक वैज्ञानिकों की मदद ली जा रही है।

इस प्रकार से साइबर क्राइम अपराधों को रोकने के लिए एनआईए नेटवर्क खड़ा किया गया है। इसके अलावा सरकार ने कई कदम भी उठाए हैं। इसमें एनआईए के प्रयासों से अपराधों में काफी कमी आई है। एनआईए के केस से संबंधित आतंकवाद गतिविधियों में संपत्ति को जब्त करने का अधिकार दिया गया है। साइबर क्राइम से संबंधित कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था, जिसका फैलाव सीमा से पार होता था, जो एनआईए की जांच, अन्वेषण या अभियोजन की कार्य सिद्धि में बाधक बनता था, इसके लिए भी अधिकार दिए गए हैं। सरकार इस प्रकार से साइबर अपराध की रोक और कमी के लिए लगातार प्रयास कर रही है। … (व्यवधान)

**श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल:** माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रालय, माननीय गृह मंत्री और विभाग को हृदय से बधाई देता हूं कि देश हित में अपराध को रोकने की दिशा में मंत्रालय कदम उठा रहा है और सक्षमता से पालन कर रहा है। … (व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एनआईए के सशक्तिकरण हेतु गृह मंत्रालय ने अभी तक क्या कदम उठाए हैं? माननीय मंत्री जी कृपया इसे बताने का कष्ट करें।… (व्यवधान)

**श्री नित्यानन्द राय:** माननीय अध्यक्ष जी, केंद्र सरकार द्वारा गृह मंत्रालय के माध्यम से एनआईए के सशक्तिकरण के लिए कई प्रयास किए गए हैं, कई कदम उठाए गए हैं। इन्फ्रास्ट्रक्चर में भी कई प्रकार के कदम उठाए गए हैं।… (व्यवधान)

सरकार एनआईए के लिए विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। … (व्यवधान) एनआईए हेतु दिल्ली स्थित मुख्यालय जम्मू, लखनऊ, कोलकाता, गुवाहाटी, हैदराबाद, रायपुर, मुम्बई, कोच्चि, चंडीगढ़, राँची, चेन्नई और इम्फाल सहित इसकी 12 कार्यालय शाखाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इनमें से 4 की स्वीकृति वर्ष 2019 में और वर्ष 2020 में दी गई है। … (व्यवधान) एनआईए को और मजबूत करने के लिए एनआईए एक्ट, 2008 और यूएपीए एक्ट, 1967 में वर्ष 2019 में मुख्यत: संशोधन किए गए हैं। एनआईए की जांच का अधिकार क्षेत्र भारत से बाहर भारतीय नागरिक एवं उनके हितों तक बढ़ा दिया गया है। स्पेशल कोर्ट के जज की नियुक्ति

व्यक्तिगत न होकर, न्यायालय विशेष को नामित करने की व्यवस्था की गई है। एनआईए की जांच के दायरे में और भी कई प्रकार के अपराध लाये गए हैं। डीजी, एनआईए को एनआईए के केस से संबंधित आतंकवादियों की सम्पत्ति को जब्त करने का अधिकार दिया गया है। आतंकवाद में लिप्त व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित करने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया है, जो पहले आतंकवादी संगठनों तक ही सीमित था। अब व्यक्ति को भी आतंकवादी घोषित किया जा सकता है।... (व्यवधान)

इस प्रकार से जहां तक सरकार का एनआईए के सशक्तिकरण के लिए संरचनात्मक ढांचे को मजबूत करने का प्रयास है, वहीं एनआईए को और अधिकार देकर एनआई एक्ट, 2008 और यूएपीए एक्ट, 1967 में संशोधन करके उसको और सशक्त बनाया गया है, जिसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं। ... (व्यवधान)

**(Q. 325)**

**श्री राजकुमार चाहर:** माननीय अध्यक्ष महोदय, देश का किसान जब से किसान सम्मान निधि पा रहा है, वह बार-बार देश के प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद दे रहा है कि कम से कम किसी प्रधान मंत्री ने तो किसानों की आय को बढ़ाने की चिंता की है। ... (व्यवधान) निश्चित रूप से 'प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि' ने किसानों की आय को बढ़ाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है और एक बड़ा योगदान दिया है।... (व्यवधान) लेकिन, मैं सरकार के माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 'प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि' के अलावा ऐसी कौन-सी योजनाएं हैं, जिनसे किसानों को उनकी आय बढ़ाने का अवसर मिलेगा और किसान की आय बढ़ सकेगी? इस बारे में माननीय मंत्री जी कृपया बताने की कृपा करें।... (व्यवधान)

**श्री कैलाश चौधरी:** माननीय अध्यक्ष जी, जैसा अभी माननीय सदस्य ने कहा है, डबल इन्कम करने के लिए हमारी कई ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। ... (व्यवधान) आने वाले समय में किसान को लाभ मिले, उसके लिए, सबसे पहला काम, प्रधान मंत्री जी ने बजट को बढ़ाने का प्रावधान किया है। पहले जो कृषि का बजट था वह वर्ष 2014 तक कुल मिलाकर अधिकतम 23 हजार करोड़ रुपये था। लेकिन, अब कृषि का बजट 1 लाख 23 हजार करोड़ से भी अधिक हो चुका है। उसके साथ ही एमएसपी को भी डेढ़ गुना करने का काम किया गया है। ... (व्यवधान) किसानों को एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से भी सपोर्ट दिया जा रहा है। एमआईडीएच स्कीम के तहत किसानों को हॉर्टिकल्चर का भी लाभ दिया जा रहा है। ... (व्यवधान)

**श्री राजकुमार चाहर:** अध्यक्ष महोदय, सरकार ने किसानों को एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक बड़ा फंड दिया है।... (व्यवधान) लेकिन, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि छोटे किसानों और सीमांत किसानों के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत ऐसी कौन-सी योजनाएं हैं और कितने प्रोजेक्ट्स हैं, जो छोटे किसानों के लिए स्वीकृत किए गए हैं? एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर से गांव में रहने वाले छोटे किसान और सीमांत किसानों को किस तरह का लाभ मिल पाएगा? इस बारे में माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करें। ... (व्यवधान)

**श्री कैलाश चौधरी :** माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि पहली बार ऐसी योजना प्रारंभ की गई है, जिसमें किसानों को डॉयरेक्ट बेनिफिट मिले और किसानों को वैल्यू मिले एवं वैल्यू एडिशन के आधार पर इस कोरोना काल में भी आज एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड में 1,00,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।...(व्यवधान) अगर किसान समूह के रूप में हो, तो समूह के अंदर वह एफपीओ बनाकर एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड का इस्तेमाल कर सकता है।...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय मंत्री जी, ठीक है। आप एक लाइन में उत्तर दीजिए।

सुश्री देबाश्री चौधरी जी।

... (व्यवधान)

**(Q. 326)**

**श्री सुशील कुमार सिंह :** माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को रोज़गार-स्वरोज़गार देने से संबंधित है।...(व्यवधान) मेरा संसदीय क्षेत्र बिहार के दो जिलों औरंगाबाद और गया में आता है। दोनों ही जिले नक्सल प्रभावित हैं, अत्यंत पिछड़े हुए हैं और वे आकांक्षावान जिलों की सूची में है।...(व्यवधान) मेरे प्रश्न का उद्देश्य यह है कि ग्रामीण युवाओं को रोज़गार मिले, वे आत्मनिर्भर हों, वे बंदूक न थामकर किसी न किसी रोज़गार में लिप्त हो सकें।...(व्यवधान)

महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, मैं उसके संबंध में जानना चाहूंगा कि 'दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना' के अंतर्गत प्रशिक्षित एवं निबंधित युवाओं को स्वरोज़गार एवं सरकारी नौकरियों में जाने वाले युवाओं की प्रतिशतता का राज्यवार डेटा क्या है?...(व्यवधान) खासकर मेरा संसदीय क्षेत्र जो कि एक उग्रवाद प्रभावित इलाका है, औरंगाबाद और गया जिलों का प्रतिशत क्या है?...(व्यवधान)

**श्री गिरिराज सिंह :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जो 'डीडीयू-जीकेवाई' की कल्पना की गई है, उसमें ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को रोज़गार देना है।...(व्यवधान) उसके अंतर्गत पूरे देश में 11,23,783 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है और 7,13,723 उम्मीदवारों को रोज़गार दिया गया है।...(व्यवधान)

यह 'डीडीयू-जीकेवाई' वर्तमान समय में 27 राज्यों और 4 केन्द्रशासित प्रदेशों में लागू है। जहां 1,891 परियोजनाएं चल रही हैं और 2,369 से भी अधिक प्रशिक्षण केन्द्र हैं।...(व्यवधान) इसमें 877 से अधिक परियोजनाएं कार्यान्वित एजेंसियों के साथ 616 से अधिक जॉब रोल के लिए 97 सेक्टर्स में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।...(व्यवधान) बिहार में 55,125 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है और 29,114 उम्मीदवारों को नियोजित रोज़गार दिया गया है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह राज्यों में कहीं भी स्थापित हो सकता है और किसी भी जिले के नौजवान और गरीब लोग वहां आकर ट्रेनिंग ले सकते हैं।...(व्यवधान) लेकिन मैंने औरंगाबाद का डेटा निकाला है। वर्ष 2014 से वर्ष 2016 के बीच 540 लोग ट्रेन्ड हुए हैं और 187 लोगों का

प्लेसमेंट हुआ है। वर्ष 2016-17 में 614 लोग ट्रेन्ड हुए।...(व्यवधान) मैं एक मिनट में अपनी बात कह दूंगा।...(व्यवधान) औरंगाबाद में कुल मिलाकर 2,779 उम्मीदवार ट्रेन्ड हुए हैं और 1,527 उम्मीदवारों को नौकरी मिली है।...(व्यवधान)

**श्री सुशील कुमार सिंह :** माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के 'घ' खंड का जो उत्तर दिया है, उसमें इन्होंने केवल यह बताया है कि रोज़गार अभियान की प्रगति के लिए...(व्यवधान) मेरा उद्देश्य यह है कि उग्रवाद प्रभावित इलाकों के युवा बंदूक न थामे, बल्कि वे किसी न किसी काम में लग जाएं।...(व्यवधान) लेकिन मुझे जो उत्तर दिया गया है, वह यह है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के द्वारा बैठकों का आयोजन किया जा रहा है।...(व्यवधान)

महोदय, मैं तो परिणाम जानना चाहता हूँ और माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि जितने लोगों को प्रशिक्षित किया गया, उनमें से रोजगार पाने वाले लोगों की संख्या 50 प्रतिशत या उसके आस-पास है।... (व्यवधान) क्या यह प्रतिशत और बढ़ेगा? विशेषकर जो आकांक्षावान जिले हैं, माननीय प्रधान मंत्री जी ने ऐसे जिलों को विकसित करने के लिए पूरे देश में आकांक्षावान जिलों की सूची बनाई है, उसमें औरंगाबाद और गया दोनों जिले हैं।... (व्यवधान) उग्रवाद प्रभावित इलाकों के युवा बंदूक ना थामे, उसके लिए सरकार किसी विशेष योजना को शुरू करने की मंशा रखती है?... (व्यवधान)

**श्री गिरिराज सिंह:** अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य के प्रश्नों का उत्तर तो दूंगा, लेकिन पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं आपके धैर्य को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज सदन की गरिमा को विपक्ष ने जिस ढंग से तार-तार किया है, ये लोग बाहर जाकर लोकतंत्र की दुहाई देते हैं और यहां पर लोकतंत्र को तार-तार कर रहे हैं।... (व्यवधान) मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ, जैसा कि माननीय सदस्य ने पूछा है कि डीडीयू-जीकेवाई योजना के अंतर्गत उग्रवाद-वामपंथ इलाके में कौन सा कार्यक्रम चला रहे हैं? मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि 'रोशनी' नाम से योजना वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 9 राज्यों के 27 जिलों में लागू की जा रही है। इस योजना में आंध्र प्रदेश, विशाखापत्तनम, बिहार के गया और जमुई, छत्तीसगढ़ के बलरामपुर, बीजापुर,

बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, कोंडागाँव, नारायणपुर और सुकमा, झारखंड के चतरा, गढ़वा, गुमला, लातेहार, पलामु, सिंहभूम, मध्य प्रदेश का बालाघाट, महाराष्ट्र का गढ़चिरोली, ओडिशा के गजपति, कंधमाल, कोरापुट, मलकानगिरी, नुआपाड़ा, रायगढ़, उत्तर प्रदेश का सोनभद्रा और पश्चिम बंगाल का पश्चिमी मिदनापुर सम्मिलित है। इन जिलों के प्रशिक्षुओं के लिए सभी प्रशिक्षण आवासीय प्रकृति के हैं और महिला अभ्यार्थियों के लिए कवरेज न्यूनतम 40 प्रतिशत है। अब तक कुल 60,013 युवाओं को प्रशिक्षित कर 33,042 को रोजगार से जोड़ा गया है।

**माननीय अध्यक्ष :** क्वेश्चन नम्बर 334 और 338 क्लब किए जाते हैं।

… (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** क्वेश्चन नम्बर 334, श्री के. नवासखनी।

… (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** श्री बालूभाऊ उर्फ सुरेश नारायण धानोरकर।

… (व्यवधान)

**श्री गिरिराज सिंह:** अध्यक्ष महोदय, मैं विवरण सदन के पटल पर रखता हूँ।… (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** क्वेश्चन नम्बर 338, डॉ. अमर सिंह जी।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** श्री राजीव प्रताप रूडी जी।

… (व्यवधान)

**(Q. 334 and 338)**

**श्री राजीव प्रताप रूडी :** अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी भी बिहार से हैं और मूल प्रश्नकर्ता भी बिहार से हैं।... (व्यवधान) इन्होंने बिहार के बारे में बड़ी तत्परता से उत्तर दिया कि डीडीयू-जीकेवाई में बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार दिया गया है।... (व्यवधान) मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जब इतनी बड़ी संख्या में बिहार में लोगों को रोजगार मिल ही रहा है तो फिर बिहार के 4 करोड़ लोग बिहार छोड़कर बाहर क्यों चले गए हैं? ... (व्यवधान) नीति आयोग बिहार को पिछड़ा क्यों कह रहा है? हम और आप पिछड़ी श्रेणी में क्यों आ रहे हैं? ... (व्यवधान) माननीय मंत्री जी यह बताएं कि जब आपका रोजगार इतना कामयाब है तो फिर कहां पर ऐसी कमी है कि बिहार के चार करोड़ लोग महाराष्ट्र में मजदूरी कर रहे हैं? बिहार के चार करोड़ लोग पंजाब में मजदूरी कर रहे हैं।... (व्यवधान) बिहार के चार करोड़ लोग जम्मू कश्मीर में जाकर अपनी जान गंवा रहे हैं।... (व्यवधान) माननीय मंत्री जी बताएं कि बिहार इतना ज्यादा प्रगतिशील हो गया है।... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, शॉर्ट में प्रश्न पूछिए।

... (व्यवधान)

**श्री राजीव प्रताप रूडी :** क्या आप इसका उत्तर देना चाहेंगे कि क्यों इतनी बड़ी संख्या में बिहार के मजदूर बाहर जा रहे हैं? ... (व्यवधान)

**श्री गिरिराज सिंह:** महोदय, प्रश्न 334 और 338 क्लब कर दिया गया है। माननीय सदस्य वरिष्ठ सदस्य हैं। इन्होंने जो चिंता व्यक्त की है, वह सभी बिहारवासियों की भी चिंता है। हम सब भी चिन्तित हैं, लेकिन भारत सरकार की ओर से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनको मैंने माननीय सदस्य को बताने का काम किया है।... (व्यवधान)

---

## *WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

(Starred Question Nos. 327 to 333, 335 to 337, 339 and 340
Unstarred Question Nos. 3681 to 3910)

(Page No. 47-710)

* Available in Master copy of Debate, placed in Library.

**11.45 hrs**

## ANNOUNCEMENT BY THE SPEAKER

Development of a mobile app for Members to access Parliamentary information

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि आपके सुलभ उपयोग के लिए एक मोबाइल एप तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से आप अपने मोबाइल, टैबलेट जैसे उपकरणों पर संसद की कार्यवाही के प्रसारण के साथ-साथ संसदीय पत्रों एवं अन्य महत्वपूर्ण संसदीय दस्तावेजों को देख सकते हैं। इस एप के माध्यम से आप संसदीय कार्यों से संबंधित सामग्रियां, विशेष रूप से आज के पत्र, लाइव टीवी, संसदीय कार्य, प्रश्न-उत्तर, डिबेट, परिचालित किए गए कागजात, सदस्यों से संबंधित जानकारी, बुलेटिन भाग-I, बुलेटिन भाग-II, समिति के कामकाज, विधेयकों से संबंधित जानकारी आदि का अवलोकन कर सकते हैं। यह एप आपके लिए बहुत उपयोग रहेगा। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने-अपने संसदीय क्षेत्र में भी, आपके क्षेत्र की जनता को इस मोबाइल एप को डाउनलोड करवाएं, ताकि आप संसद में अपने इस तरीके के आचरण को अपने क्षेत्र की जनता को दिखा सकें।

---

… (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष** : माननीय सदस्यों, मैं आपसे अन्तिम दिन आग्रह कर रहा हूं, आपसे मेरी बहुत अपेक्षा है सदन चलाने की। आप प्रयास करें कि सदन चले, सदन में अपनी बात कहने का मौका दें। मैंने आज सुबह आपको कहा था कि मैं आपको पर्याप्त समय और पर्याप्त अवसर दूंगा। आप सदन की गरिमा और आचरण को बनाए रखें। इस सदन की गरिमा और आचरण आप सबका है, सदन आप सबका है। आप यहां चर्चा और संवाद के लिए आते हैं, एक अच्छी चर्चा हो, संवाद हो, आप अपने क्षेत्र के महत्वपूर्ण मुद्दों को सदन में रखें, ताकि सदन ठीक से चले। मैं हर विषय पर, आप जो भी विषय या मुद्दा उठाना चाहेंगे, आपको पर्याप्त समय और पर्याप्त अवसर दूंगा।

… (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि हम किस तरीके से सदन को मर्यादित कर सकते हैं और जनता की अपेक्षाएं-आकांक्षाएं इन सदनों के माध्यम से पूरी कर सकते हैं।

… (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** मेरा आपसे पुन: आग्रह है कि आप लोग अपनी सीट्स पर विराजें। मैं आपको पर्याप्त समय और पर्याप्त अवसर हर मुद्दे पर दूंगा। बालू जी का मुद्दा है, एन.के. प्रेमचन्द्रन जी का मुद्दा है, हमारे वकील साहब, उनका आजकल गला खराब हो गया है, उनका महत्वपूर्ण मुद्दा है। कई लोग बोलना चाहते हैं। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप लोग अपनी सीट्स पर जाएं। आप अपने क्षेत्र के जितने भी बुनियादी सवाल हैं, मुद्दे हैं, उनके बारे में बोलने के लिए जितना समय चाहेंगे, उतना समय और मौका दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि सदन चले, सदन आप सबका है, अगर आप सभी लोग चाहेंगे तो मैं सदन चलाऊंगा और आपकी अपेक्षाओं-आकांक्षाओं को भी पूरा करूंगा। क्या आप लोग बैठना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** सभा की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

**11.48hrs**

*The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock*

**14.00 hrs**

*The Lok Sabha re-assembled at Fourteen of the Clock.*

(Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

**माननीय सभापति :** माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

… (व्यवधान)

**श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर) :** सर, सदन के अंदर या सदन के बाहर किसानों के पक्ष में, किसानों के लिए संघर्ष करने का हमारा फर्ज बनता है। इस फर्ज की बदौलत तीन … * किसान कानूनों के खिलाफ हम लोगों ने संघर्ष किया था।… (व्यवधान) हिन्दुस्तान के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के लिए भी हम संघर्ष कर रहे हैं और हिन्दुस्तान के किसानों के कर्ज माफी के लिए भी हम संघर्ष कर रहे हैं। इसके साथ-साथ लखीमपुर खीरी में किसानों की कुचलकर, रौंदकर हत्या की गई, यह साबित हो चुका है। … (व्यवधान) एसआईटी की रिपोर्ट पर सरकार उनको बर्खास्त करे। हम यह मांग करते हैं। किसी के साथ हमारी व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। किसी मंत्री के साथ हमारी व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। हमारी मांग है कि जिन्होंने किसानों की हत्या की है, उनको बर्खास्त किया जाए। … (व्यवधान)

**SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR):** On 13.09.2012, the Bill was passed by the Tamil Nadu Assembly unanimously. … (*Interruptions*) The Bill then was sent to the Governor of Tamil Nadu. It has not yet been sent for President's consent. As per Article 200 and 201, the he has to send it to the President.

---

* Not recorded.

… (*Interruptions*) The ... * keep it. But ... * the Bill for the past three months, not for one day or two days. The ... * is flouting the Constitution. … (*Interruptions*) That is what I want to say. The Government of India is the authority concerned and it should ...* and ask ... * to send it to the President for consent. … (*Interruptions*)

**14.01hrs**

*At this stage, Shri Gaurav Gogoi, Sushri Mahua Moitra and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.*

**HON. CHAIRPERSON:** Please sit down. Your leaders are speaking now. आप बैठ जाइए। आप बैठ जाइए और अपने सहयोगियों को कहिए कि वे बैठ जाएं। आपके लीडर अपनी बात कह चुके हैं।

… (व्यवधान)

**SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM):** In the name of Kerala Silver Line Project, the houses of the poor people are being taken forcibly without even given statutory notice. … (*Interruptions*) Also, the people of my constituency are threatening the Government that they will burn themselves. They are holding bottles of petrol. … (*Interruptions*) They are threatening that the families will be self-immolated. I urge upon the Government to stop all the survey proceedings of this project. … (*Interruptions*)

---

* Expunged as ordered by the Chair.

**माननीय सभापति :** सौगत दा, आपका विषय तो आ चुका है।

… (व्यवधान)

**PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM):** I have given a notice for adjournment motion demanding the removal of Shri Ajay Mishra Teni for his son's involvement in mowing down four farmers who were agitating. … (*Interruptions*) This matter should be discussed in the House. … (*Interruptions*)

---

**14.02 hrs**

## PAPERS LAID ON THE TABLE

**माननीय सभापति :** अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नं. 2, श्री बी. एल. वर्मा जी।

**उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी. एल. वर्मा):** सभापति महोदय, श्री अमित शाह जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(3) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (कर्मचारी भविष्य निधि), नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[Placed in Library, See No. LT 5813/17/21]

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CULTURE (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL):** On behalf of Shrimati Nirmala Sitharaman, I beg to lay on the Table a copy of Notification No. 53/2021-Customs (Hindi and English versions) dated 20th December, 2021, together with an explanatory memorandum seeking to give effect to the changes in BCD from 21.12.2021

up to 31.03.2022 on Refined palm oil and its fractions falling under subheading 1511 90 is reduced from 17.5% to 12.5% under Section 159 of the Customs Act, 1962.

[Placed in Library, See No. LT 5814/17/21]

**कृषि और किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) :** सभापति महोदय, मैं कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनयम, 1937 की धारा 3 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) चिलगोजा श्रेणीकरण और चिह्नीकरण (संशोधन) नियम, 2021 जो दिनांक 5 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 719(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) मसाले श्रेणीकरण और चिह्नीकरण (संशोधन) नियम, 2021 जो दिनांक 12 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 171(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 5815/17/21]

**माननीय सभापति:** कृपया आप सभी अपनी-अपनी सीट पर जाइए।

… (व्यवधान)

**माननीय सभापति :** आपकी बात आपके नेतृत्व ने यहां पर उठा दी है। Please go back to your seats.

… (व्यवधान)

**जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रह्लाद सिंह पटेल)**: सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) नेशनल मीट एण्ड पोलट्री प्रोसेसिंग बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019

और 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल मीट एण्ड पोलट्री प्रोसेसिंग बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 और 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5816/17/21]

(3) राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी,उद्यमिता और प्रबंध संस्थान, अधिनियम, 2021 की धारा 39 की उप-धारा (2) के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी,उद्यमिता और प्रबंध संस्थान नियम, 2021, जो 26 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 4453 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।... (व्यवधान)

[Placed in Library, See No. LT 5817/17/21]

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल)**: सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

**(क)** (एक) तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड, तुंगभद्रा बांध के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड, तुंगभद्रा बांध का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 5818/17/21]

**(ख)** (एक) ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसोप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसोप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 5819/17/21]

**(ग)** (एक) ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 5820/17/21]

**(घ)** (एक) सीमेन्ट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) सीमेन्ट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-

महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 5821/17/21]

**(ड़)** (एक) इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा के वर्ष 2018-2019 और 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा के वर्ष 2018-2019 और 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) के (घ) तथा (ड़) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5822/17/21]

(3) (एक) फ्लूड कंट्रोल रिसर्च इंस्टीट्यूट, पालक्कड़ के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फ्लूड कंट्रोल रिसर्च इंस्टीट्यूट, पालक्कड़ के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।...(व्यवधान)

[Placed in Library, See No. LT 5823/17/21]

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी प्रतिमा भौमिक)**: श्री रामदास अठावले जी की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:

**(1)** सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 की धारा 15क(4) के अंतर्गत वर्ष 2019 के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

**(2)** उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।...(व्यवधान)

[Placed in Library, See No. LT 5824/17/21]

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)**: साध्वी निरंजन ज्योति जी की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) भारत रूरल लाइवलीहुड्स फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारत रूरल लाइवलीहुड्स फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5825/17/21]

(2) (एक) भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5826/17/21]

(3) भांडागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 की धारा 52 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) भांडागारण (विकास और विनियमन), भांडागारों का पंजीकरण (संशोधन) नियम, 2021 जो 9 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 786(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भांडागारण विकास और विनियमन प्राधिकरण (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्तें) (संशोधन), विनियम, 2021 जो 1 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 841(अ) में प्रकाशित हुए थे।... (व्यवधान)

[Placed in Library, See No. LT 5827/17/21]

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय)**: सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) कोएलिशन फॉर डिजास्टर रिसाइलिएंट इन्फ्रास्ट्रक्चर, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कोएलिशन फॉर डिजास्टर रिसाइलिएंट इन्फ्रास्ट्रक्चर, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5828/17/21]

**(2)** भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 की धारा 156 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, पायनियर संवर्ग (समूह 'ख' और 'ग' पद) भर्ती नियम, 2021 जो 15 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 799(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, युद्धक (अनुसचिवीय संवर्ग और आशुलिपिक संवर्ग), समूह 'ग' पद, भर्ती (संशोधन) नियम, 2021 जो 17 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 802(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 5829/17/21]

(3) प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 25 की उप-धारा (4) के अंतर्गत लद्दाख प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन), नियम, 2021, जो 22 सितम्बर, 2021 के लद्दाख के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 25 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5830/17/21]

(4) दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 148 की उप-धारा (2) के अंतर्गत दिल्ली पुलिस (नियुक्ति और भर्ती) (संशोधन) नियम, 2021, जो 15 जून, 2021 के दिल्ली के राजपत्र में

अधिसूचना सं. एफ. 16/21/2020/एचपी-एक/स्था./545 से 551 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5831/17/21]

(5) विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 की धारा 3क की उप-धारा 2 के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ. 3141(अ), जो 5 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तथा जिसके द्वारा 5.8.2021 से पश्चिम बंगाल के जयगांव, जिला अलीपुरद्वार स्थित स्थल आप्रवासन चेक पोस्ट के लिए विदेशियों विषयक आदेश, 1948 के प्रयोजनों के लिए वरिष्ठ आप्रवास अधिकारी, आप्रवास ब्यूरो, जयगांव को "सिविल प्राधिकारी" के रूप में नियुक्त किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।...(व्यवधान)

[Placed in Library, See No. LT 5832/17/21]

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CULTURE (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL):** On behalf of Shri Pankaj Chaudhary, I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions) under Article 151(1) of the Constitution:-

(1) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Report No. 8 of 2021)–Department of Revenue-Direct Taxes for the year ended March, 2020.

[Placed in Library, See No. LT 5833/17/21]

(2) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Report No. 9 of 2021)(Performance Audit)-On Ground Water Management and Regulation, Department of Water

Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Ministry of Jal Shakti.

[Placed in Library, See No. LT 5834/17/21]

(3) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (No. 10 of 2021) (Department of Revenue-Indirect Taxes-Customs)-Performance Audit on Advance Authorisation Scheme.

[Placed in Library, See No. LT 5835/17/21]

(4) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Railways)(Report No. 13 of 2021)–Railways Finances for the year ended March, 2020. … (*Interruptions*)

[Placed in Library, See No. LT 5836/17/21]

**कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैलाश चौधरी)**: सुश्री शोभा कारान्दलाजे जी की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पत्र पर रखता हूं:

(1) (एक) राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5837/17/21]

(2) पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 97 के अंतर्गत पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण (दूसरा संशोधन) नियम, 2021 जो 17 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 803(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।... (व्यवधान)

[Placed in Library, See No. LT 5838/17/21]

**कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री** (**श्री कैलाश चौधरी**): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं **:**

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, पंचकुला के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, पंचकुला का वर्ष 2016-2017 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5839/17/21]

(3) (एक) राष्ट्रीय शीत-श्रंखला विकास केंद्र, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय शीत-श्रंखला विकास केंद्र, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5840/17/21]

(4) (एक) नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5841/17/21]

(5) (एक) चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, जयपुर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, जयपुर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5842/17/21]

**(6)** नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम, 1914 की धारा 4(घ) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (दूसरा संशोधन) आदेश, 2021 जो 7 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 1491(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (चौथा संशोधन) आदेश, 2021 जो 24 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 2511(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (तीसरा संशोधन) आदेश, 2021 जो 24 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 2512(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(चार) पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (पांचवां संशोधन) आदेश, 2021 जो 19 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 3404(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(पांच) पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (छठा संशोधन) आदेश, 2021 जो 13 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 3686(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(छह) पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (सातवां संशोधन) आदेश, 2021 जो 14 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 4265(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(सात) पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (नौवां संशोधन) आदेश, 2021 जो 25 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 4870(अ) में प्रकाशित हुआ था।...(व्यवधान)

[Placed in Library, See No. LT 5843/17/21]

**उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी. एल. वर्मा)**: सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5844/17/21]

(2) (एक) नेशनल लेबर कॉआपरेटिव्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल लेबर कॉआपरेटिव्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।...(व्यवधान)

[Placed in Library, See No. LT 5845/17/21]

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय):** श्री अजय कुमार जी की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

**(1)** आरईपीसीओ बैंक लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

**(2)** आरईपीसीओ बैंक लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।...(व्यवधान)

[Placed in Library, See No. LT 5846/17/21]

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी प्रतिमा भौमिक)**: सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:

**(1)** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर के वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 5847/17/21]

**(2)** (एक) ऑफिस ऑफ द चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 से 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) ऑफिस ऑफ द चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज, नई

दिल्ली के वर्ष 2015-2016 से 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन के बारे में व्याख्यातमक ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

**(3)** उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5848/17/21]

**(4)** (एक) महिला मंडल बाड़मेर अगोर, बाड़मेर के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) महिला मंडल बाड़मेर अगोर, बाड़मेर के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

**(5)** उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5849/17/21]

**(6)** (एक) बांकुरा स्कूल ऑफ होटल मैनेजमेंट पश्चिम बंगाल, बांकुरा के वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बांकुरा स्कूल ऑफ होटल मैनेजमेंट पश्चिम बंगाल, बांकुरा के वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

**(7)** उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5850/17/21]

**(8)** (एक) ग्राम भारती महिला मंडल, बेतूल के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ग्राम भारती महिला मंडल, बेतूल के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

**(9)** उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5851/17/21]

**(10)** (एक) सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, अमेठी के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, अमेठी के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

**(11)** उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5852/17/21]

**(12)** (एक) मनिन्द्रनाथ बनर्जी मेमोरियल सोसायटी, बर्धमान के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मनिन्द्रनाथ बनर्जी मेमोरियल सोसायटी, बर्धमान के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

**(13)** उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5853/17/21]

**(14)** (एक) मधुमय श्रीलेखा एजुकेशन एण्ड वेलफेयर सोसायटी, वर्धमान के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मधुमय श्रीलेखा एजुकेशन एण्ड वेलफेयर सोसायटी, वर्धमान के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

**(15)** उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5854/17/21]

**(16)** (एक) एनआईसी इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वेस्ट बंगाल, कोलकाता के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एनआईसी इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वेस्ट बंगाल, कोलकाता के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

**(17)** उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5855/17/21]

**(18)** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) टीएचआरईडीजेड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) टीएचआरईडीजेड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

**(19)** उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।...(व्यवधान)

[Placed in Library, See No. LT 5856/17/21]

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)**: श्री भागवत किशनराव कराड़ जी की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन- संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2021 का प्रतिवेदन संख्यांक 12) - मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का सामान्य प्रयोजन वित्तीय प्रतिवेदन (अनुपालन लेखापरीक्षा)।

(2) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन- संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2021 का प्रतिवेदन संख्यांक 14) - मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा) टिप्पणियां। ... (व्यवधान)

[Placed in Library, See No. LT 5857/17/21]

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTINIG (DR. L. MURUGAN):** I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Prasar Bharati, New Delhi, for the year 2019-2020, alongwith Audited Accounts.
(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Prasar Bharati, New Delhi, for the year 2019-2020.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 5858/17/21]

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निशीथ प्रामाणिक)**: सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

**(1)** (एक) राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 और 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 और 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

**(2)** उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5859/17/21]

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CULTURE (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL):** On behalf of Shri Pankaj Chaudhary, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under Article 151(1) of the Constitution:-

(i) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Defence Services)(Report No. 15 of 2021)-Defence Research and Development Organisation (DRDO) for the year ended March, 2019.

(ii) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (No. 16 of 2021)(Compliance Audit Observations)-(Economic & Service Ministries-Civil) for the year ended March, 2020.

(iii) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (No. 17 of 2021)(Compliance Audit)-Administration of Nazul Lands by Land and Development Office, Ministry of Housing and Urban Affairs.

(iv) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (No. 18 of 2021)(Compliance Audit)-(Department of Revenue-Customs) for the year ended March, 2020.

(v) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Civil) (Report No. 20 of the year 2021)(Performance Audit)-

Performance Audit of setting up of new Indian Institutes of Technology (IITs), Ministry of Education, for the year ended March, 2019.

[Placed in Library, See No. LT 5859A/17/21]

(2) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(i) Union Government-Finance Accounts for the year 2020-2021.

(ii) Union Government-Appropriation Accounts (Civil) for the year 2020-2021.

[Placed in Library, See No. LT 5859B/17/21]

---

**14.10 hrs**

## MESSAGES FROM RAJYA SABHA

**SECRETARY GENERAL:** Sir, I have to report the following messages received from the Secretary General of Rajya Sabha:

(i) "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 20th December, 2021 agreed without any amendment to the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Amendment) Bill, 2021 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 13th December, 2021."

(ii) 'I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on Monday, the 20th December, 2021 has adopted the enclosed motion concurring in the recommendation of the Lok Sabha that the Rajya Sabha do join in the Joint Committee of the Houses of Parliament on the Bill further to amend the Biological Diversity Act, 2002. The names of the Members of the Rajya Sabha to serve on the said Joint Committee are set out in the motion.

**MOTION**

"That this House concurs in the recommendation of the Lok Sabha that this House do join in the Joint Committee of the Houses on the Bill further to amend the Biological Diversity Act, 2002 and resolves that the

following Members of the Rajya Sabha be appointed to serve on the said Joint Committee: --

1. Shri Shiv Pratap Shukla
2. Dr. Anil Agrawal
3. Shri Neeraj Shekhar
4. Shrimati Ramilaben Becharbhai Bara
5. Shri Jairam Ramesh
6. Shri Jawhar Sircar
7. Shri Tiruchi Siva
8. Dr. Amar Patnaik
9. Prof. Ram Gopal Yadav
10. Shri Ram Nath Thakur." '

---

**14.10 ½ hrs**

## COMMITTEE ON ESTIMATES

### 12th Report

**श्री गिरीश भालचन्द्र बापट (पुणे):** माननीय सभापति महोदय, मैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित 'सभी एम्स की प्रगति की समीक्षा' विषय के बारे में प्राक्कलन समिति (2021-2022) का बारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

---

**14.11 hrs**

## COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE

**6th Report**

**श्री रामशिरोमणि वर्मा (श्रावस्ती):** माननीय सभापति महोदय, मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का छठा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

---

**14.12 hrs**

## STANDING COMMITTEE ON AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY AND FOOD PROCESSING

**36th Report**

**SHRI P. C. GADDIGOUDAR (BAGALKOT):** Sir, with your kind permission, I rise to present the 36th Report (Hindi and English versions) (Seventeenth Lok Sabha) of Standing Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing (2021-22) on 'The Pesticide Management Bill, 2020' of the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (Department of Agriculture and Farmers Welfare).

---

## 14.13 hrs

**ELECTION TO COMMITTEE**

Council of the National Institutes of Food Technology, Entrepreneurship and Management (NIFTEM)

**श्री पशुपति कुमार पारस (हाजीपुर)**: माननीय सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूँ **:-**

"कि इस सभा के सदस्य, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंध संस्थान अधिनियम, 2021 की धारा 29(1) के साथ पठित धारा 28(2)**(झ)** के अनुसरण में, ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंध संस्थान **(**निफ्टेम**)** की परिषद के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

**माननीय सभापति** : प्रश्न यह है**:**

"कि इस सभा के सदस्य, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंध संस्थान अधिनियम, 2021 की धारा 29(1) के साथ पठित धारा 28(2)(झ) के अनुसरण में, ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंध संस्थान **(**निफ्टेम**)** की परिषद के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

… (व्यवधान)

**माननीय सभापति** : आइटम नम्बर 23.

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव बाद में लिया जाएगा।

**…** (व्यवधान)

**माननीय सभापति :** आइटम नम्बर 23 A - श्रीमती स्मृति इरानी जी।

**14.14 hrs**

## PROHIBITION OF CHILD MARRIAGE (AMENDMENT) BILL, 2021*

**महिला और बाल विकास मंत्री** (**श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी**): माननीय सभापति महोदय, मैं आज आपकी अनुमति से सम्माननीय सदन के सम्मुख भारत सरकार की प्रतिनिधि होने के नाते बड़ी विनम्रता से हिन्दुस्तान की आज़ादी के 75वें वर्ष में 'अमृत महोत्सव' के उपलक्ष्य में, मैं इस संकल्प को प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि हमारे देश में महिला समानता… (व्यवधान)

**माननीय सभापति :** अभी तो यह इंट्रोड्यूस ही होना है। क्या आप इस पर ज्यादा बोलना चाहती हैं?

… (व्यवधान)

**श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी :** जी हाँ।… (व्यवधान)

महिला समानता के दृष्टिकोण से, age of marriage की दृष्टि से महिलाओं की विवाह की आयु को बढ़ाने के इस संकल्प के साथ that the enactments relating to age of marriage of parties... … (*Interruptions*)

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 2 dated 21.12.2021

**माननीय सभापति :** मंत्री जी, आप केवल मूव कीजिए।

… (व्यवधान)

**श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी :** माननीय सभापति जी, मैं मूव कर रही हूँ।… (व्यवधान) आपकी अनुमति से केवल थोड़ा-सा बोलना चाहती हूँ।… (व्यवधान) The enactments relating to age of marriage of parties such as the Indian Christian Marriage Act, 1872, the Parsi Marriage and Divorce Act, 1936, the Muslim Personal Law (Shariat) Application Act, 1937, the Special Marriage Act, 1954, the Hindu Marriage Act, 1955, the Foreign Marriage Act, 1969 की सहमति नहीं है।… (व्यवधान)

**माननीय सभापति :** माननीय मंत्री जी, आप मूव कीजिए।

… (व्यवधान)

**श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी**: इसलिए आपकी अनुमति से, age of marriage की दृष्टि से,… (व्यवधान)

Sir, I rise to move for leave to introduce a Bill further to amend the Prohibition of Child Marriage Act, 2006.

**माननीय सभापति** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ **:**

"कि बाल-विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

… (व्यवधान)

**माननीय सभापति** : श्री अधीर रंजन चौधरी।

… (व्यवधान)

**श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर)**: माननीय सभापति जी, आज अचानक सप्लीमेंट्री लिस्ट ऑफ बिज़नेस में हमें यह देखने को मिला कि the Prohibition of Child Marriage (Amendment) Bill, 2021 लाया गया।,… (व्यवधान)

मैं सरकार को एक सलाह देना चाहता हूँ कि हड़बड़ी में कोई भी चीज करने से गड़बड़ी होती है।,... (व्यवधान) हिन्दुस्तान में इस मुद्दे को लेकर काफी चर्चा हो रही है। इसके साथ-साथ, सरकार ने अब तक न किसी स्टेक होल्डर से बातचीत की, न किसी स्टेट से कंसल्ट किया गया है और जल्दीबाजी में अचानक सप्लीमेंट्री लिस्ट में इस बिल को लाया गया।,... (व्यवधान) एक के बाद एक बिल सरकार इस तरह से क्यों लाती है, यह देखकर मुझे ताज्जुब होता है। इससे सरकार के नापाक इरादे साफ हो जाते हैं। हमारी मांग है कि इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी में तुरंत रेफर किया जाए।... (व्यवधान)

**HON. CHAIRPERSON:** Your Leader has already spoken.

... (*Interruptions*)

**श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर):** माननीय सभापति महोदय, मैं इस बिल के इंट्रोडक्शन का विरोध करता हूँ क्योंकि लॉ कमीशन की 18वीं रिपोर्ट में कंसल्टेशन पेपर, जो रिफॉर्म्स ऑफ फैमिली लॉ है, उसमें भी लिखा गया है,

"That the age of majority, 18 years, should be recognised uniformly, as the legal age for marriage for men and women alike."

यह लॉ कमीशन की रिपोर्ट है। इस बिल के द्वारा विभिन्न पर्सनल लॉज अफेक्ट होंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ग्रेटर स्क्रूटनी के लिए इसे स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाना चाहिए।... (व्यवधान)

**HON. CHAIRPERSON:** Prof. Sougata Ray ji, be attentive. You may speak now.

**PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM):** I beg to oppose the introduction of the Prohibition of Child Marriage (Amendment) Bill, 2021.

As it is, I oppose the way in which the Government has brought this Bill in a hurry. This Bill needs total discussion among all stakeholders. The minority people are totally opposed to this Bill.… (*Interruptions*)

**SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI):** Thank you very much, Sir. I oppose the very introduction of this Bill. This Bill is unwanted, unconstitutional and violative of Article 25 of the Constitution. This Bill will have far-reaching consequences.… (*Interruptions*) This Bill is an attack on the personal law and the fundamental rights of the people of this country. The Government should withdraw this Bill. This, of course, is nothing but to gain the… (*Interruptions*)

**SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM):** Sir, the basic purpose of a legislation is to see whether the law is enforceable. As far as this Bill is concerned, which aims at enhancing the marriage age from 18 to 21, I would like to know whether this law can be enforceable? The rural population, especially the uneducated and unemployed girls, will have to wait up to 21 years of age for getting married. So, I would first like to know whether this law is enforceable or not.

Secondly, to acquire citizenship, 18 years of age has been prescribed by the Constitution … (*Interruptions*) It is the right of a girl, at the age of 18 to have… (*Interruptions*)

**SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD):** Sir, this is a retrogressive amendment. This is against the right to freedom under Article 19. An 18-year old can choose a Prime Minister, can have a live-in relationship, can have sexual relation under POCSO Act, but the Government is denying them the

right to marriage. What have you done for the 18-year old? The women's labour force participation in India is lower than Somalia. Sir, 89 per cent of the fund for 'Beti Bachao, Beti Padhao' was used for other multifarious publicity.

This is a retrogressive step and should be taken back. This is against the … (*Interruptions*)

**श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग) :** सभापति महोदय, हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली सरकार का सदन में काम करने का क्या तरीका है? … (व्यवधान) हमें कल तक जो बिल दिखाया गया था, उसकी तैयारी कर के हम लोग आए, अब सप्लिमेंट्री लिस्ट ऑफ बिज़नेस सर्कुलेट कर के यह बिल पेश किया गया है। … (व्यवधान) यह सही तरीका नहीं है। … (व्यवधान) हमें इसके ऊपर चर्चा करने की आवश्यकता है। … (व्यवधान) सर, मुझे बात करने दीजिए। … (व्यवधान) इस बिल पर सही तरीके से चर्चा करने की आवश्यकता है। … (व्यवधान) जेपीसी के पास यह बिल भेजने की व्यवस्था करें, यह मेरा निवेदन है। … (व्यवधान)

**HON. CHAIRPERSON**:

Shri P.R. Natarajan Ji ….

Shrimati Supriya Sadanand Sule Ji.

… (*Interruptions*)

**PROF. SOUGATA RAY**: Sir, send this Bill to the Standing Committee. … (*Interruptions*)

**SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI):** Exactly. … (*Interruptions*)

Hon. Chairperson, Sir, this is the second or third time consecutively that the Government is aggressively bringing in Bills and nobody from the

Opposition is being consulted. Whatever is discussed in the Business Advisory Committee, is never implemented on the Floor of the House.

So, I want to first condemn this new practice that the Government is following. The Government wants to pass the Bill. The Bill needs to be scrutinised and all the stakeholders should be consulted. Then, I think, we must unanimously pass any reforms, if they have got to do with women. I think, if you are trying to empower people, you must consult all stakeholders and you must send this for detailed discussions to the Standing Committee.

**SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI (THOOTHUKKUDI):** Hon. Chairperson, Sir, thank you for the opportunity.

Sir, there are people who support this Bill and there is a lot of opposition to this Bill also. Except the Women's Reservation Bill, the Government does not believe in consulting with anybody. So, I think, it is very important that such an important Bill has to be sent to the Standing Committee or to the Select Committee. They have to review it, ask for opinions from civil society, and then bring in this Bill.

**श्री अनुभव मोहंती (केन्द्रपाड़ा)** : चेयरमैन सर, मुझे सदन में रहते हुए सात वर्षों से ज्यादा का समय हो गया है। … (व्यवधान) मैं राज्य सभा में भी था और आज लोक सभा में हूं। … (व्यवधान) ऐसे कई विषयों पर यहां बिल्स आए हैं, इंट्रोड्यूस हुए हैं, जिन पर बहुत अच्छी तरह से डिबेट की गई, डेलिब्रेशन्स हुए हैं, बहुत लंबी चर्चा भी हुई है। … (व्यवधान) कभी स्टैंडिंग कमेटी, कभी सलेक्ट कमेटी में जाकर भी बिल्स पास हुए हैं। … (व्यवधान) लेकिन इस तरह से हेस्टिली, एक-एक बिल को all of a sudden सप्लीमेंट के माध्यम से लाना, इंट्रोड्यूस करना, उस पर बिना

चर्चा किए, बिना डिबेट पास करवाना ठीक नहीं है। … (व्यवधान) It is beyond democracy. … (*Interruptions*)

**माननीय सभापति** : माननीय मंत्री जी – क्या आप रिस्पॉन्ड करेंगी?

**SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI:** Hon. Chairperson, Sir, the gentleman Parliamentarian says that haste is a reflection of my introduction. … (*Interruptions*)

I would like to say to the hon. gentleman that we are in a democracy and 75 years late in providing equal rights to men and women to enter into matrimony. … (*Interruptions*)

महोदय, इस बात का उल्लेख करना उचित होगा कि 19वीं शताब्दी में लड़कियों की शादी की आयु दस वर्ष थी। … (व्यवधान) 1940 तक शादी की आयु को 12 वर्ष से 14 वर्ष किया गया। … (व्यवधान) 1978 में 15 साल तक की लड़कियों का ब्याह कर दिया गया। … (व्यवधान) आज पहली बार इस अमेंडमेंट के माध्यम से महिला और पुरुष दोनों 21 साल की उम्र में, समानता के अधिकार को देखते हुए, शादी-विवाह का अपना निर्णय ले सकते हैं। … (व्यवधान)

यह कहना कि अगर महिला शिक्षित नहीं है, तो वह अपने अधिकारों का न ज्ञान रख पाएगी, न उन अधिकारों का इस्तेमाल कर पाएगी। … (व्यवधान) देश की ग्रामीण अंचल की बहनों का इससे बड़ा अपमान इस सदन में नहीं हो सकता। … (व्यवधान) आज इस सदन के सम्मुख मैं यह कहना चाहूंगी कि वर्ष 2015 से लेकर 2020 तक हमारे देश में बाल विवाह रोकने की संख्या, 20 लाख विवाह रोके गए हैं, यह रिसर्च हमको बतलाती है।

NFHS-5 का डेटा बतलाता है कि 15 साल से 18 साल की उम्र में 60 प्रतिशत बेटियां गर्भवती पाई गई हैं। … (व्यवधान) 18 साल से कम उम्र में 23 प्रतिशत लड़कियों का ब्याह रचा दिया गया, जबकि कानून उसकी इजाज़त नहीं देता और आज जो लोग यहां, विशेषकर पुरुष विरोध कर रहे हैं, जानबूझकर मेरी सीट के आगे आकर चिल्ला रहे हैं। … (व्यवधान)

**माननीय सभापति** : आपने अपनी बात रखी है।

… (व्यवधान)

**माननीय सभापति :** ऑनरेबल मिनिस्टर बोल रही हैं, वे इस पर रिस्पॉन्ड कर रही हैं।

… (व्यवधान)

**माननीय सभापति** : आप कृपया अपनी सीट्स पर जाइए और उन्हें शांतिपूर्वक सुनिए।

**…** (व्यवधान)

**SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI:** I want to say that you should be … * that you all are devoiding women of the right to equality under the Constitution and this House cannot be witness to that disrespect to women is my contention today. … (*Interruptions*)

महोदय, जिन लोगों ने कहा कि यह अमेंडमेंट सेक्युलर नहीं है, मैं उनका ध्यान सुप्रीम कोर्ट के कथन पर आकृष्ट करना चाहूंगी। … (व्यवधान) Independent Thought Vs. Union of India, (382) of 2010. … (व्यवधान) सुप्रीम कोर्ट का स्वयं मानना है कि यह एक्ट सेक्युलर एक्ट है और मुस्लिम पर्सनल लॉ की दृष्टि से भी, हिन्दू मैरिज एक्ट की दृष्टि से भी, सभी धर्म, सभी जातियां, सभी समुदाय की महिलाओं को समानता का अधिकार विवाह की दृष्टि से मिलना चाहिए। … (व्यवधान)

महोदय, मैं इस निर्णय के समाजिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक और मार्मिक विषयों को समझती हूं। … (व्यवधान) मेरे कथन में गतिरोध लाने वाले विपक्ष के सज्जनों से मैं कहना चाहती हूं कि अगर वे मेरी बात को पूरा सुन लेते, तो उनका ध्यान इस बात पर आकृष्ट होता कि मैं स्वयं सरकार की ओर से यह प्रस्तावना करना चाहती हूं कि स्टैंडिंग कमेटी में इस विषय पर विस्तृत

* Not recorded.

चर्चा हो। … (व्यवधान) लेकिन यह भी कहना उचित होगा कि मुख्यत: आज जो आवाज़ें उठीं, उन आवाज़ों ने स्वीकार किया that the age of marriage should uniformly be applicable across all religions, all castes, and all creeds overriding any custom or any law which seeks to discriminate against women. So, those men who stood in this House in support of uniformity in applicability of the law have my gratitude.

Sir, on behalf of the Government, I would request that this Bill be sent to the Standing Committee. आज का यह निर्णय, यह इंट्रोडक्शन राष्ट्र के इतिहास में एक निर्णायक कदम है। … (व्यवधान) हमारे प्रधान मंत्री जी ने इस प्रस्तावना को अपना आशीर्वाद दिया कि इस देश में किसी महिला के साथ भेदभाव न हो। … (व्यवधान) हमारे प्रधान मंत्री जी ने इस प्रस्तावना को आशीर्वाद दिया कि जब 15 और 18 साल की बेटियों में गर्भवती होने से दस परसेंट मिसकैरेज का जो चांस रहता है, तो बेटियों के संरक्षण में यह प्रस्तावना सदन के सम्मुख प्रस्तुत की जाए। … (व्यवधान) महिला संरक्षण और सम्मान के लिए प्रधान मंत्री जी के इस ऐतिहासिक कदम के लिए मैं देश की बहनों की ओर से उनका आभार व्यक्त करती हूं, उनका अभिनंदन करती हूं और सदन से विनम्रता से अपील करती हूं कि मुझे यह बिल इंट्रोड्यूस करने दिया जाए। … (व्यवधान)

**माननीय सभापति :** प्रश्न यह है:

> "कि बाल-विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

**SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI:** Sir, I introduce the Bill. … (*Interruptions*)

---

**माननीय सभापति :** आइटम नंबर – 25, ऑनरेबल मिनिस्टर श्री अर्जुन राम मेघवाल जी।

… (व्यवधान)

**14.29 hrs**

**CHARTERED ACCOUNTANTS, THE COST AND WORKS ACCOUNTANTS AND THE COMPANY SECRETARIES (AMENDMENT) BILL, 2021**

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) :** सभापति जी, धन्यवाद। … (व्यवधान) मैं आपकी अनुमति से यह कहना चाहता हूं कि आइटम नंबर - 25 पर जो बिल अंकित है - The Chartered Accountants, the Cost and Works Accountants and the Company Secretaries (Amendment) Bill, 2021. … (व्यवधान) इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेजने के लिए माननीय मंत्री जी ने निवेदन किया है। … (व्यवधान) मैं आपके माध्यम से यह बात सदन के समक्ष रखना चाहता हूं कि इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेज दिया जाए। … (व्यवधान) अगले बजट तक इसकी रिपोर्ट आ जानी चाहिए, यह माननीय मंत्री जी ने कहा है। … (व्यवधान)

**SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR):** Sir, I am opposing the arguments advanced by the hon. Minister. The reason being that the Institute of Chartered Accountants of India has raised concern over the proposal to have a non-Chartered Accountant as the Presiding Officer … (*Interruptions*)

**माननीय सभापति**: मंत्री जी ने कह दिया है कि स्टैंडिंग कमेटी में बात रखवाएंगे।

… (व्यवधान)

**SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY**: Sir, again, I am urging upon this Government that this legislation also should be referred to the Standing Committee … (*Interruptions*)

**HON. CHAIRPERSON** : It has already been referred to the Standing Committee by the hon. Minister. आप अपना विषय स्टैंडिंग कमेटी में रखिए। ठीक है, धन्यवाद।

… (व्यवधान)

**माननीय सभापति:** सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 22 दिसम्बर, 2021 को प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

… (व्यवधान)

**14.32 hrs**

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, December 22, 2021/Pausha 01, 1943 (Saka)*

---

**INTERNET**

The Original Version of Lok Sabha proceedings is available on Parliament of India Website and Lok Sabha Website at the following addresses:

http://www.parliamentofindia.nic.in

http://www.loksabha.nic.in

**LIVE TELECAST OF PROCEEDINGS OF LOK SABHA**

Lok Sabha proceedings are being telecast live on Sansad T.V. Channel. Live telecast begins at 11 A.M. everyday the Lok Sabha sits, till the adjournment of the House.

Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (Sixteenth Edition)